

मंदिर- ५०६३ / १५-७-१६। १५१९८

गोपनीय श्री कृष्ण मंदिर अस्सी गोपनीय श्री कृष्ण मंदिर अस्सी

प्रेषण,

श्री कृष्ण मंदिर,
तिरुवत्ता तिरुप्पि
उत्तर प्रदेश इलाहा ।

लेखा ५

तिरुप्पि माध्यमिक विद्या परिषद्,
लिला कन्तु २ अस्सी उन्नी
श्रीकृष्ण मंदिर इलाहा ।

विद्या १७। अमुभाग

तिरुप्पि: ईन्टर्मो: २। अगस्त १९९८

रिक्ष्यः - अका ऐरे दे बोडिंग रस्ता, इलाहा नगर बैठो हो सीटिंग्सूलॉफ्स् नई
दिल्ली हे ताज्जरा भेदु जिंदपीला प्रमाण पन दिले जाने हे तेथ्या दे ।

महोदय,

उपर्युक्त विद्या पर युक्त गोपनीय का निषेध आहा दे कि ग्रन्थां ऐरे दे बोडिंग
रस्ता कूमारिचनगर बैठो हो सीटिंग्सूलॉफ्स् नई दिल्ली हे ताज्जरा भेदु अनापत्ति प्रमाण
पन दिले जाने मे का राज्य सरकार हो निवासिपित प्रतिक्रिया^१ के वर्ती आपल्या नहीं
हो ।

१। विद्यालय हा वैज्ञानिक तीतापडी हा सम्बन्ध पर कधीनीकरण करावा
जायेगा ।

१२। विद्यालय की प्रबन्ध संस्थिति मे विद्या निषेध द्वारा नाप्रित एक
महादृष्ट दौड्या ।

१३। विद्यालय मे कम हे प्रतिक्रिया स्थान अनुचित जाती/अनुचित
जनकांता हे काढाऱ्ये के लिह उद्दिष्टा रड्डी और उनी उत्तर प्रदेश माध्यमिक
विद्या परिषद् द्वारा तीकाळीत विद्यालयां मे विभिन्न काढाऱ्ये के लिह
निपारित हुण्ठे ते अधिक गुण नहीं विद्या वरेया ।

१४। तीकाळ द्वारा राज्य सरकार हे विद्या अनुदान को माझ नढी हो जायेगी
और दोन फूंक मे विद्यालय माध्यमिक विद्या परिषद् हे अपार वेतिक
विद्या परिषद् हे गान्धीजी द्वापत हे तथा विद्यालय की ताज्जरा नेन्होच
माध्यमिक विद्या परिषद्/सीलिं घार दि प्रतिक्रिया त्वाल तीर्फिले
उल्लास वेतिक, नई दिल्ली हे द्वापत होती हे तो उत परीक्षा परिषद्
मे ताज्जरा द्वापत होने हो ती तिक्ष्णे परिषद् हे मान्यता तथा राज्य
सरकार हे अनुदान स्वामः द्वापत हो जायेगी ।

१५। तीकाळ विभिन्न दर्ता विद्यालय विभारियां हो राज्यकीय ताज्जरा प्राप्त
विद्या संस्थानां के कम्पिंटरां हो अनुमन्य वेतनमानां तथा अन्य भास्तां
हो कम वेतनमान तथा अन्य मातीं नहीं दिले जाईंगे ।

१६। कम्पिंटरां हो तेवा शीर्षी बनायी यायेगी और उन्हे हक्काधता प्राप्त
मान्यतावाच उच्चलर माध्यमिक विद्यालयां के कम्पिंटरां हो अनुमन्य
तेवा विभारित हो तथा उपलब्ध करावा जाईंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा तंत्रज्ञ पर जो भी आदेश नियम किए जायेंगे, उनका उल्लंघन करेगी।

181 विद्यालय का रिकॉर्ड नियाँरित पुस्तक/बिजिटरी में रखा जायेगा।

191 उपलब्ध होने में राज्य सरकार के पूर्णांगीटन के लिए कोई परिवर्तन/विशेषज्ञ या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तंत्रज्ञ द्वारा वह दुनियाई विद्या पाय कि विद्यालय द्वारा नियाँरित मानकाद्वारा भूमि की व्यवस्था दुनियाई की जाय।

3- उसा प्रतिबन्धी का पालन करना तंत्रज्ञ के लिए अनिवार्य होगा और प्रति विद्या सभा यह पाया जाएगा कि तंत्रज्ञ द्वारा उस प्रतिबन्धी का पालन नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विद्या की वृक्ष या शिखिता घरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ज्ञापत्रित प्रमाण पत्र पालन से लिया जायेगा।

महाराज,

महाराज गाँगांडी।
द्वारा तार्किव।

मुमूक्षु ५७६३ ११/१५-७-१९९८ लूटिनौर

प्रतिसिद्धि निम्नलिखित लोगों द्वारा दर्शायक दार्यादारी के प्रमाण :-

- 1- लिपि निदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- महाराज तंत्रज्ञ लिपि निदेश, लखनऊ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।
- 4- निरीक्षक, झाँगा भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रत्यक्ष, जल्मा केरा दोहिन रुक्मि, द्वारा प्रियंका नगर, लखनऊ।

आशा है,

महाराज गाँगांडी।
द्वारा तार्किव।